भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2695

उत्तर देने की तारीख: 18.12.2024

मैला ढोने के कारण हुई मौतें

2695. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:
श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में मैला ढोने के कारण हुई मौतों के बारे में हाल की मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) पिछले पांच वर्षों में मैला ढोने या जोखिमपूर्ण सीवर कार्य के कारण हुई मौतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) मैला ढोने पर रोक लगाना और ऐसी मौतों को रोकना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) क्या सरकार मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को फिर से शुरू करने या उनका विस्तार करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): अस्वच्छ शौचालयों से मानव-मल उठाने अर्थात् मैनुअल स्केवेंजिंग के कारण किसी की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सीवरों और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई और "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और एमएस नियम, 2013" के तहत यथा निर्धारित सुरक्षा पूर्वोपायों के अनुपालन न करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार, दिनांक 06.12.2013 से देश में हाथ से मैला उठाना निषिद्ध कार्य है। कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त तिथि से हाथ से मैला उठाने के लिए नियोजित नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी जो एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के कार्य में नियोजित करती है वह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 वर्षों के कारावास अथवा एक लाख रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों के साथ दंडनीय होगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना तैयार की है, जिसे वर्ष 2023-24 में देश के सभी 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लागू करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित को प्राप्त करना है:-

- भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर
- स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल कर्मचारियों द्वारा किए जाएंगे
- कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आएगा
- पंजीकृत और कुशल सफाई कर्मचारियों से सेवाएँ लेने के लिए स्वच्छता सेवा के इच्छुक (व्यक्तियों और संस्थानों) के बीच जागरूकता में वृद्धि
- मशीनीकृत स्वच्छता सेवाओं का सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सफाई यूनिट (ईआरएसयू) को सुदृढ़ और सक्षम बनाना।
- स्वच्छता उद्यमों को चलाने के लिए स्वच्छता कर्मचारियों का सशक्तिकरण और मशीनों की उपलब्धता के माध्यम से सफाई अभियान के मशीनीकरण को बढ़ावा देना।

यह योजना एसएसडब्ल्यू को प्रोफाइल करके औपचारिक रूप देती है और क्षमता निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मशीनीकृत उपकरण और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करके सुरक्षित सफाई सुनिश्चित करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित परामर्शिका (Advisory) जारी की है:-

(i) सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

(ii) आपातकालीन प्रतिक्रिया सफाई यूनिट (ईआरएसयू) के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय हस्तक्षेप के लिए सलाह दी गई है।

(iii) सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए रेडी रेकनर तैयार किया गया है।

(iv) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यूएलबी के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए देश भर में सफाईमित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन कर रहा है।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग " राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना लागू कर रहा है। हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) का नाम बदलकर नमस्ते योजना कर दिया गया है जिसमें एसआरएमएस के मौजूदा घटक शामिल हैं। चिन्हित हाथ से मैला उठाने वालों को निम्नलिखित पुनर्वास प्रदान किया गया हैः

क. सभी चिन्हित और पात्र 58,098 हाथ से मैला उठाने वालो को प्रति परिवार 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की गई है।

ख. वैकल्पिक स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू करने के लिए हाथ से मैला ढोने वाले 2,541 व्यक्तियों और उनके आश्रितों को 5,00,000/- रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई है।

ग. कौशल विकास प्रशिक्षण चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले 24,294 व्यक्तियों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से वजीफा प्रदान किया गया है।

घ. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी चिन्हित हाथ से मैला उठाने वालो के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है।

अनुबंध

''मैला ढोने के कारण हुई मौतें" के संबंध में दिनांक 18.12.2024 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2695 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंकों में हुई मौतों का ब्यौरा (दिनांक 31.10.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मौतों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5
2	बिहार	4
3	दिल्ली	34
4	दादरा नागर और हवेली	3
5	गोवा	1
6	गुजरात	49
7	हरियाणा	51
8	झारखंड	4
9	कर्नाटक	21
10	महाराष्ट्र	63
11	मध्य प्रदेश	11
12	ओडिशा	2
13	पंजाब	11
14	राजस्थान	24
15	तमिलनाडु	67
16	तेलंगाना	8
17	उत्तर प्रदेश	49
18	उत्तराखंड	1
19	पश्चिम बंगाल	11
	कुल	**419**
